

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2170]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2016/भाद्र 14, 1938

No. 2170]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2016/BHADRA 14, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2016

का.आ. 2867(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2529 (अ), तारीख 17 सितम्बर, 2015 के द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 365 के मल्लामपल्ली (नया रारा-163) से नकरेकल (नया रारा-65) तक खंड को तेलंगाना राज्य सरकार (जो इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में उल्लिखित है) को सुपुर्द कर दिया है।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए फीस संग्रहण हेतु सा.का.नि. 838(अ) दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 तैयार की है तथा सा.का.नि. 950(अ) दिनांक 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ) दिनांक 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ) दिनांक 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ) दिनांक 16.12.2013, सा.का.नि. 16(अ) दिनांक 16.01.2014, सा.का.नि. 831(अ) दिनांक 21.11.2014 और सा.का.नि. 220(अ) दिनांक 23.03.2015 के तहत संशोधित की है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित और समय-समय पर संशोधित (जो इसके आगे "नियम" के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 365 पर तन्नामचेरला से जमंडलापल्ली खंड के उपयोग के लिए, पेड्ड शोल्डर के साथ

दो लेनिंग के उपयोग हेतु 46.400 किमी निवल लंबाई के सड़क खंड के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर की 60% दर से तथा निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 2.00 किमी डिजाइन लंबाई वाले एक बाइपास पर आधार दर की 90% दर से फीस (इसके आगे 'आधार दर' के रूप में उल्लिखित है) उद्गृहीत करती है तथा प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1

वाहन का प्रकार (1)	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में) (2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत फीस टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजाओं में देय और भुगतान योग्य होगी:-

तालिका 2

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है।	दर, जिस पर फीस संदेय है।
किमी 99.750 चिंतापल्ली के निकट	46.400	उपर्युक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और टोल प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2016-17 के लिए 235.00 रु. (दो सौ पैंतीस रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अधीन है।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की लंबाई के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर 10 करोड़ अथवा अधिक लागत वाली एक बाइपास हेतु फीस भी देय और भुगतान योग्य होगी :-

तालिका 3

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास की लंबाई (किमी) जिसके लिए अतिरिक्त फीस का भुगतान किया जाएगा	बाइपास की लागत (करोड़ रु.)	भुगतान योग्य फीस दर
किमी 99.750 चिंतापल्ली के निकट	किमी 81.400 पर शुरू होकर और किमी 83.400 पर विलय होते हुए बाइपास की लंबाई 2.00 किमी	13.52 करोड़	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात् :-

तालिका 4

भुगतान योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुमत्य भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहनों के ड्राइवर अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति का राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभारित वाहनों के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को दस गुणा फीस का भुगतान उस दर पर करने का दायित्व होगा जो इस प्रकार की श्रेणी के यांत्रिक वाहन के लिए लागू फीस का दस गुणा होगा और वह राजमार्ग खंड का उपयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें कथित नियम के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा परियोजना राजमार्ग की लंबाई के पूरे किए गए भाग के आधार पर की जाएगी तथा और तदनुसार, कथित नियमों के नियम 5 के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा तथा इसे प्रत्येक अंग्रेजी और देशी भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत तालिका-5 में दी गई है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

तालिका 5

टोल प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है।	संस्वीकृत लागत (करोड़)
किमी 99.750 चिंतापल्ली के निकट	48.400	177.18

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37016/02/2016-एनएचडीपी-IVए]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2016

**S.O. 2867(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2529 (E), dated the 17th September 2015, issued under section 05 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from Mallampalli (New NH-163) to Nakrekal (New NN-65) section of National Highway No. 365 in the State of Telangana to the State Government of Telangana (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January 2011, G.S.R. 756(E) dated 12th October 2011, G.S.R. 778(E) dated 16.12.2013, G.S.R. 16(E) dated 16.01.2014, G.S.R. 831(E) dated 21.11.2014 and G.S.R. 220(E) dated 23.03.2015 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time ( hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 46.400 Km for use of the Two laning with paved shoulder(hereinafter referred to as “base rate”) and 90% of the base rate at one bypass having design length of 2.00 Km on the type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the section of the Tannamcherla to Jamandlapally on the National Highway No. 365 in the State of Telangana and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

TABLE 2

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km. 99.750 near Chinthapally.	46.400	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 235.000 (Rupees Two Hundred and Thirty five only) for the year 2016-17 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
3. In addition to above, the fee shall also be due and payable for one no. bypass costing Rs 10 crore or more at the following Toll Plaza for the length of bypasses specified for such Toll Plaza as under :-

TABLE 3

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in Km) of the bypass for which additional Fee is payable	Cost of Bypass(Rs. in crore)	Rate at which the fee is payable
Km. 99.750 near hinthapally.	Bypass of length 2.00 Km taking off at Km. 81.400 and merging at 83.400 Km.	13.52 crores	90% of the base rates mentioned in Table 1 above

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

TABLE 4

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. The driver or owner or person in charge of Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay for fee entering the overloaded vehicle on National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of fee applicable for such category of Mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rule.
9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the project highway and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
10. The estimated capital cost of the project is given in Table-5. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

TABLE 5

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Sanctioned cost(crores)
Km. 99,750 near Chinthapally.	48.400	177.18

[F. No. RW/NH- 37016 / 02 / 2016-NHDP-IVA]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.